

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता योजना

मंत्रालय

ग्रामीण विकास मंत्रालय

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

योजना के बारे में और लाभ

गंभीर और एकाधिक विकलांगता के साथ ग्रस्त लोग 300 रुपयों की मासिक पेंशन के हकदार हैं।

पात्रता

विकलांग की उम्र 18-79 साल के बीच होनी चाहिये।

आवेदन कैसे करें

राज्य की वेबसाइट से या लागू राज्य के समाज कल्याण विभाग से आवेदन फार्म डाउनलोड करें।

अधिक जानकारी के लिए, देखें: <http://nsap.nic.in/Guidelines/dps.pdf> or <http://nsap.nic.in/#>

या स्थानीय पंचायत से संपर्क करें।